मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

क्रमांक/1811/506/10/2/75 भोपाल, दिनांक 29–4–1975

प्रति,

प्रमुख वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल
मुख्य वन संरक्षक (सामान्य) भोपाल
मुख्य वन संरक्षक (राष्ट्रीयकरण) भोपाल

विषय :– जनता को निस्तार के लिये जलाऊ लकड़ी, काटें और बांस प्रदाय की सुविधा देने के बारे में।

––0––

जनता को निस्तार संबंधी प्राप्त शिकायतों पर विचार कर शासन ने जून 1974 के पश्चात् जलाऊ लकड़ी और कांटों की जो संशोधित दरें लगाई थी उन्हें निरस्त कर जलाऊ लकड़ी के लिये निम्नानुसार दर और विधि अपनाने का निर्णय लिया है :–

1– <u>जलाऊ लकड़ी</u>

2– **निस्तार के लिये**

1– राज्य के समस्त आरक्षित व संरक्षित वनों में गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी ग्रामीणों को सिरबोझ से निःशुल्क लाने दी जाए।

2– ग्रामीणों को अपने निस्तार के लिये गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी समस्त राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वन क्षेत्र से गाड़ी द्वारा उपलब्धता के अनुसार पूर्ववत् लाने की सुविधा दी जाए और उनकी दरें निम्नानुसार होगी:'––

(अ) यह दरें मई 74 की प्रचलित दरों की डेढ़ गुनी रहेगी परन्तु किसी क्षेत्र में दरे रूपये 3–00 प्रति गाड़ी से अधिक नहीं रहेगी। बस्तर तथा कांकेर (पूर्ववत) क्षेत्रों के लिये यह दर केवल 50 पैसे तथा रूपये 1–00 प्रति गाड़ी क्रमशः रहेगी।

(ब) ग्रामीणों को निस्तार के लिये जिस क्षेत्र से जलाऊ लकड़ी काटकर चट्टों (2 X 1 X 1 मीटर) के रूप में दी जायेगी, उनकी दर पुनरीक्षित गाड़ी की दर में लकड़ी की कटाई और चट्टा बनाने का व्यय रूपये 4–00 जोड़कर प्रति चट्टा की दर निर्धारित की जायेगी। कटाई शुल्क बस्तर जिले में केवल रूपये 3–00 प्रति चट्टा जोड़ा जावेगा।

टीप– ट्रेक्टर ट्राली की दरें निस्तार के लिये 8 बैलगाड़ी (मरी, गिरी, पड़ी, सूखी) के बराबर मानी जावेगी। इसमें वन मार्ग शुल्क सम्मिलित समझा जाऐगा।

(स) उपभोक्ता (व्यापारिक) दरें

स्थानीय जनता के उपयोग के लिये अथवा बेचने के लिये सिरबोझ से गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की दरें निम्नानुसार रहेगी:–

(1) ग्रामीण क्षेत्र निःशुल्क.

(2) नगर निगम वाले नगर 20 पैसे प्रति सिरबोझ.

(3) नगर पालिका वाले एवं औद्योगिक नगर – 15 पैसे प्रति सिरबोझ.

(4) अनुसूचित क्षेत्र (नोटिफाईड ऐरिया) 10 पैसे प्रति सिरबोझ.

नोट– साईकिल एवं कावड़ बोझ की दरें सिरबोझ की दरों से दुगनी मानी जाऐ।

जलाऊ लकड़ी के चट्टों की बिक्रीः–

गैर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जहॉ राष्ट्रीयकृत अथवा अराष्ट्रीयकृत वन में विभागीय कटाई चल रही है वहॉ उपभोक्ताओं के उपभोग के लिये अथवा बैचने के लिये जलाऊ लकड़ी चट्टा बनाकर ही दिये जायेंगें। बाजार भाव एवं बाजार से दूरी का ध्यान रखते हुये संबंधित वन संरक्षक अपने अधिकार के द्वारा विभिन्न कूपों से चट्टों को उपभोक्ता दरें निर्धारित करेगे, जिनमें रॉयल्टी का अंश बाजार भाव से 80 प्रतिशत वसूल किया जावेगा।

जलाऊ लकडी की पर्याप्त उपलब्धता के लिये वन मंडल अधिकारी पर्याप्त संख्या में कूपों में विभागीय कार्य करवायेंगें।

3. कॉटे :– ग्रामीण निस्तारियों के लिये कांटों की दरें मई 74 से लागू थी, वहीं यथावत् लागू रखी जाये।

टीपः– ट्रेक्टर ट्राली की दरें निस्तार के लिये 6 गाड़ी कांटों के बराबर मानी जाएं इसमें वन मार्ग शुल्क सम्मिलित समझा जाए।

जिन ग्रामीणों को निस्तार पत्रक अथवा बाजिब उल अर्ज में सुविधायें प्राप्त हो, वे तदानुसार रहेगी।

उक्त निर्णयों में यदि कोई अपवाद उपस्थित हुआ तो शासन से परामर्श किया जावे।

यह निर्णय तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता.

(आर.सी. सक्सेना)

उप सचिव

क्रमांक/1812/506/10/2/75 भोपाल, दिनांक 29–4–1975

प्रतिलिपिः–

1/ समस्त वन संरक्षक

2/ समस्त वन मंडलाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

हस्ता.

(आर.सी.सक्सेना)

उप सचिव